

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक-107/14-1 (FP/UP/ Road/ 40150/2019) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 28.09.2022 ।

सेवा में

विषय-

संदर्भ-

महोदय,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334ए), पुरकाजी-लक्सर मार्ग कि0मी0 0.00 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे0 वन भूमि (0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि +0.60 हे0 आरक्षित वन भूमि ) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं वन भूमि पर अवस्थित परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 269 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8वी0/यू0पी0/06/24/2021/एफ0सी0/52 दिनांक-29.04.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद का पत्रांक-817/1सी0 दिनांक-04.06.2022 ।

जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334ए), पुरकाजी-लक्सर मार्ग कि0मी0 0.00 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं वन भूमि पर अवस्थित परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव नियमानुसार भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-29.04.2022 द्वारा प्रस्ताव में कतिपय अभिलेखों / सूचनाओं की वांछना की गयी थी, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 04.06.2022 द्वारा निम्नानुसार आवश्यक अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है-

| क्र0स0 | आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | As per DSS analysis, area proposed for diversion is 0.10 ha. which is lower than the actual proposed areas. As per Geo-referenced map, a forest patch is missing from kml file of area proposed for diversion. This needs rectification. Rectified kml file of complete route needs to be submitted Accordingly if area proposed for diversion is changed then all related documents need to be modified and resubmitted. | भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक-29.04.2022 के क्रम प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग आरक्षित वन भूमि से भी होकर जा रहा है जिस प्रस्तावित मार्ग के संशोधित के0एम0एल0 एवं अन्य अभिलेख संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसके अन्तर्गत कुल-0.93 हे0 वन भूमि (0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि +0.60 हे0 आरक्षित वन भूमि ) एवं वन भूमि पर अवस्थित परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 269 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तावित है । |

अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8वी0/यू0पी0/06/24/2021/एफ0सी0/52 दिनांक-29.04.2022 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334ए), पुरकाजी-लक्सर मार्ग कि0मी0 0.00 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे0 वन भूमि (0.33 हे0 संरक्षित वन भूमि +0.60 हे0 आरक्षित वन भूमि ) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं वन भूमि पर अवस्थित परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 269 वृक्षों के पातन की अनुमति का संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में (04 पेनड्राईव सहित) आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रस्ताव को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर ।

संख्या 107/14-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

2- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद को उनके पत्रांक-817/1सी0 दिनांक-04.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर ।



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696,  
Email: roezalho.mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/24/2021/एफ0सी0 | S-2

दिनांक : 29.04.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, उ0प्र0।

**Online Proposal No. FP/UP/Road/40150/2019**

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334ए), लक्सर-परकाजी किमी0 0.00 से किमी0 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2800/11-सी-FP/UP/Road/40150/2019, लखनऊ, दिनांक-01.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

- 1- As per DSS analysis, area proposed for diversion is 0.10 ha. which is lower than the actual proposed area. As per Geo-referenced map, a forest patch is missing from .kml file of area proposed for diversion. This needs rectification. Rectified .kml file of complete route needs to be submitted. Accordingly if area proposed for diversion is changed then all related documents need to be modified and resubmitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियंता, एन०एच० डिवीजन, पी०डब्ल्यू०डी०, गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)